संख्या-06/2017/5954/26-3-2016-10(31)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 03 जनवरी, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-83 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, धनगढ़िया, सिद्धार्थनगर में बाउण्ड्रीवाल, पाथवे एवं गार्डरूम के भवन मरम्मत आदि कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-640/स0क0/विकास/आ0प0वि0(117)/2016-17, दिनांक 22.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29 मद में धनराशि रूपया-500.000 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान समय में संगत मद में **धनराशि रूपया-17.17 लाख** उपलब्ध है।

2- अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, धनगढ़िया, सिद्धार्थनगर में बाउण्ड्रीवाल, पाथवे एवं गार्डरूम के भवन मरम्मत आदि कार्यों हेतु आंकलित धनराशि रू0-99.36 लाख (रू0-निन्यान्वे लाख छत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपया-17.17 (रूपये सत्रह लाख सत्रह हजार मात्र) श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराने के उपरान्त ही आहरित कर प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6) उक्त विद्यालय के निर्माण की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर करायी जाय।

(7) उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

संख्या-06/2017/5954(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4- बजट प्रकोष्ठ (समाज कल्याण) उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10-जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
11-ईफाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in